



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2013/माघ 3, 1934

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2013/MAGHA 3, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

का.आ. 236(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2317(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, तारीख 27 सितम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में असम राज्य में असम नवीकरण परियोजना के माध्यम ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 2 नवम्बर, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

सर्कल : डेमोव		मौजा : बकोटा	जिला : शिवसागर		राज्य : असम	
क्रम सं.	गाँव का नाम	डाग संख्या	क्षेत्रफल			
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
1	कुकूरा चुवा दियोदइ गाँव	121	00	07	60	
		डाग नंबर 121 व 101 के बीच का जमीन	00	01	60	
		697	00	10	52	
		649	00	20	29	
		120	00	03	76	
		119	00	00	50	
		653	00	00	55	
		650	00	00	87	
		651	00	00	64	
		646	00	05	54	
		645	00	05	60	
		637	00	08	98	
		636	00	13	05	
		635	00	12	15	
		633	00	02	40	

सर्कल : डेमोव		मौजा : बकोटा	जिला : शिवसागर	राज्य : असम		
क्रम सं.	गाँव का नाम	डाग संख्या	क्षेत्रफल			
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
1	कुकूरा चुवा दियोदड़ गाँव (जारी)	634	00	02	58	
		648	00	03	85	

[फा. सं. ओ-12016/11/2009-ओ.एन.जी.-III]

राज शेखर सिकदार, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2013

S.O. 236(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.2317(E) dated the 20 September, 2012, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 27 September, 2012, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline under Assam Renewal Project in Sivasagar District in the State of Assam by Oil & Natural Gas Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 02.11.12.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Oil & Natural Gas Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Circle : DEMOW Mouja : BOKOTA District : SIVASAGAR State : ASSAM					
Sl. No.	Name of the Village	Dag Number	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Kukurachuwa Deodhai	121	00	07	60
		Area in between Dag number 121 and 101	00	01	60
		697	00	10	52
		649	00	20	29
		120	00	03	76
		119	00	00	50
		653	00	00	55
		650	00	00	87
		651	00	00	64
		646	00	05	54
		645	00	05	60
		637	00	08	98
		636	00	13	05
		635	00	12	15
		633	00	02	40
1	Kukurachuwa Deodhai (Contd.)	634	00	02	58
		648	00	03	85

[F. No. O-12016/11/2009-ONG-III]

R. S. SIKDAR, Under Secy.